

31.1.22

पञ्चायत) पेशा हुने) वकील (सायबान) उपस्थित) वकील सायबान
 द्वारा) मूल वाद मोट प्रेष) किमा जा लुका दे) मूल वाद के
 केर प्रार्थना पत्र का कोई आन्वित्य नही है) एवं पोषकीय नही
 है) अतः मूल वाद की रेशनी के प्रार्थना पत्र श्वारिण किमा
 जा लुका दे) पञ्चायत) के सदस्य आदि केर सलम मूल वाद रहे।

उपखण्डाधिकारी
 धौलपुर (राज०)